प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 16.11.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तों को 05 - 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000 -10,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित कराया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तों को 05 - 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000 - 10,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित कराया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 10.02.2021 को वादी सोकेश कुमार पुत्र राकेश निवासी डूडपुरा थाना सिविल लाइन जनपद इटावा द्वारा थाना सिविल लाइन पर तहरीरी सूचना दी कि उसके पिता को जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से मार कर घायल कर दिया।

जिसके संबंध में **थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 48/2024 धारा 147/148/149/307/308/325/504/506/34 भादवि पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा उक्त अभियोग के संबंध मे अभियुक्तों को दण्डित कराये जाने हेतु प्रभावी पैरवी करते हुये अभियोजन के सभी गवाहों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अविलंब गवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना कोतवाली पुलिस टीम पैरोकार का0 शिवम नायक एवं मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम व एडीजीसी श्रीमती मंजू शाक्य द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 16.11.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-05 इटावा द्वारा **05 - 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000 -10,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **राजेन्द्र सिंह यादव पुत्र ऊदल सिंह निवासी दूढपुरा थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।**
2. **सुदेश पुत्र सुभाष निवासी दूढपुरा थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।**
3. **इन्द्रेश पुत्र राजेन्द्र निवासी दूढपुरा थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।**
4. **लोकेश पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी दूढपुरा थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।**
5. **अभिषेक पुत्र दुर्गेश निवासी दूढपुरा थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।**